Order Sheet (subsequent)

राज०राज्य बनाम शाहिद अली उर्फ शाहिद हाण्डा वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 57/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
25.02.2026 बाद बयान मालखाना रजिस्टर प्राप्त किया [illegible] शेरसिंह HC 898	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण शाहिद अली उर्फ शाहिद हाण्डा व सैजान खान उर्फ बिट्टू वर जमानत अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता श्री फिरोज खान उपस्थित। साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.08 शेरसिंह के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। साक्ष्य के दौरान गवाह श्री शेरसिंह हैड कांनिस्टेबल 898 पुलिसथाना कोतवाली बारां द्वारा प्रकरण से संबंधित असल मालखानां रजिस्टर पेश किया, जो बाद बयान श्री शेरसिंह हैड कांनिस्टेबल 898 पुलिसथाना कोतवाली बारां को लौटाया गया, जिसकी रसीद आदेशिका पर ली गई। गवाह संख्या 7 की तामील अदम तामील में प्राप्त हुई है। गवाह संख्या 6 को पुनः जरिये जमानती वारण्ट 2000/– रूपये व गवाह संख्या 7 व 11 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है। गवाहान की तामील जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि गवाह की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से कराई जावे। अदम तामील की सूरत में तामील कुनिन्दा बरोजपेशी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 09.03.2026 को पेश हो। **सत्यनारायण टेलर** **जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **बारां (राज.)**	